



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0ब0-15/2016-796 दिनांक : 22.06.2018

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल/ गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल/ मेदिनीनगर वन प्रमण्डल/ चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल/ चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल/ कोडरमा वन प्रमण्डल/ हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल/ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार

**विषय :-**

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण, वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के लिए कुल **रु0 341.984 लाख (तीन करोड़ एकतालीस लाख अनठानवे हजार चार सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

**प्रसंग:-**

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट-20/2016-05/स्वी0 व0प0 दिनांक-30.05.2016 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-20/2016-04/आ0 व0प0 दिनांक 27.04.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 341.984 लाख (तीन करोड़ एकतालीस लाख अनठानवे हजार चार सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789580103	290.799
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789580323	51.185
कुल :-		341.984

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1 (क) से (ग)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2 (क) से (ग)** पर तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या— पी0 19S240601789580103 तथा पी0 19S240601789580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. वन प्रमण्डलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी जिसकी प्रमण्डलवार समेकित प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित किया जायेगा।

6. नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

10. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।


13. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी।

14. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

विश्वासभाजन,


  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-15/2016-796

दिनांक- 22-06-2018

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं हजारीबाग/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/ हजारीबाग/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गढ़वा/ मेदिनीनगर/ चतरा/ हजारीबाग/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**


  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-15/2016-796

दिनांक- 22-06-2018

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा/ मेदिनीनगर/ चतरा/ कोडरमा/ हजारीबाग/ लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			8108.90	961.00	9069.90
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा	150	12.163	1.442	13.605
2	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा	180	14.596	1.730	16.326
3	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	150	12.163	1.442	13.605
4	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	150	12.163	1.442	13.605
5	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	150	12.163	1.442	13.605
6	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	190	15.408	1.825	17.233
7	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	200	16.218	1.922	18.140
8	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	180	14.596	1.730	16.326
9	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा	180	14.596	1.730	16.326
10	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	60	4.866	0.575	5.441
योग :-		1590	128.932	15.280	144.212

अनुलग्नक-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			9295.80	2182.40	11478.20
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा	150	13.944	3.273	17.217
2	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा	150	13.944	3.273	17.217
3	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	120	11.155	2.619	13.774
4	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	140	13.014	3.056	16.070
5	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	200	18.591	4.365	22.956
6	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	50	4.648	1.092	5.740
7	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	190	17.662	4.147	21.809
8	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	150	13.944	3.273	17.217
9	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा	160	14.873	3.492	18.365
10	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	60	5.577	1.309	6.886
योग :-		1370	127.352	29.899	157.251

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			13806.02	2402.50	16208.52
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा	60	8.284	1.442	9.726
2	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	60	8.284	1.441	9.725
3	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	30	4.142	0.721	4.863
4	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	60	8.283	1.441	9.724
5	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा	40	5.522	0.961	6.483
योग :-		250	34.515	6.006	40.521
योग :-		440	290.799	51.185	341.984

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04/यो0ब0-20/2016-05/स्वी0 व0प0 दिनांक 30.05.2016

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1000 पौधे

सिंग 3 मी. X 3 मी. अथवा 2 मी. X 2 मी. अथवा 3 मी. X 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

मजदूरी दर : 237.38 रु० प्रति मानव दिवस

क्रम	कार्य का विवरण	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
<b>(A)</b>						
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	14.00	3323.32	0.00	3323.32
3	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/ उरिया, जैविक किटनासक आदि)	हे०	0.00	0.00	785.00	785.00
4	पौधों की सुरक्षा			0.00		
4.1	30 हे० तक	हे०	12.16	2886.54		2886.54
4.2	30 हे० से 60 हे० तक					
5	घेरान मरम्मत	हे०	6.00	1424.28	0.00	1424.28
6	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	2.00	474.76	176.00	650.76
योग :-			34.16	8108.90	961.00	9069.90

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम- भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी० X 2 मी०)

मजदूरी दर : 237.38 रु० प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरण	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)
1	2	3	4	6	5	7
<b>(B)</b>						
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हे०	23.00	5459.74	0.00	5459.74
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1892.40	1892.40
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	हे०	12.16	2886.54	0.00	2886.54
	पौधों की सुरक्षा (30 हे० से अधिक)					
4	गड़ढा घेरान की मरम्मत	चेन	1.00	237.38	0.00	237.38
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	3.00	712.14	290.00	1002.14
योग :-			39.16	9295.80	2182.40	11478.20

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : 2500 पौधे का वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 2500 पौधे  
 पौधों की दूरी : 2 मी० x 2 मी०  
 मजदूरी दर : 237.38 रु० प्रति मानव दिवस

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	दिनांक	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	35.00	8308.30	0.00	8308.30
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / उरिया, जैविक किटनासक आदि)	हे०	0.00	0.00	1962.50	1962.50
3	पौधों की सुरक्षा			0.00		
3.1	30 हे० तक	हे०	12.16	2886.54		2886.54
3.2	30 हे० से 60 हे० तक					
4	घेरान मरम्मति	चेन	6.00	1424.28	0.00	1424.28
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	5.00	1186.90	440.00	1626.90
योग :-			58.16	13806.02	2402.50	16208.52

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
 झारखण्ड, राँची



## आवंटन आदेश

### झारखंड सरकार

आवृत्त वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/yb-15/2016/796

दिनांक - 22-Jun-2

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36289	GRHFWL001  ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	3,439,100.00  रुपये चौतीस लाख उनचालीस हजार एक सौ
2	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36290	GRHFWL004  SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH GARHWA	2,854,000.00  रुपये अठाइस लाख चौपन हजार
3	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36291	PLMFOR070  NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	3,160,200.00  रुपये इकतीस लाख साहठ हजार दो सौ

योग: 9,453,300.00

क्रमिक योग: रुपये चौरान्धे लाख तीरपन हजार तीन सौ

(SHRI SATNAM SINGH)  
CCF, D.BADMAKAGANS(BRANCHI)



क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्यवहन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36293	CTRFOR003  SRI KALI KINKER  D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	2,931,900.00  रुपये उन्तीस लाख इक्तीस हजार नौ सौ
5	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36294	CTRFOR002  RAYINDRA NATH MISHRA  D.F.O. NORTH DIV. CHITRA	3,903,700.00  रुपये उनचालीस लाख तीन हजार सात सौ
6	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36295	KDMFORA01  SURAJ KUMAR SINGH  D.F.O. KODERMA	2,005,600.00  रुपये बीस लाख पाँच हजार छः सौ

योग:

8,841,200.00


क्रमिक योग:

रुपये एक करोड बयासी लाख चौरानवे हजार पाँच सौ

18,294,500.00

  
SHRI SATNAM SINGH  
PCCF, DEWANKHARDA, RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36298	HZBFWL009  SUSHIL SOREN  DIV. FOREST OFFICE EAST	3,388,000.00  रुपये तैतीस लाख अठ्यासी हजार
8	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36299	HZBFWL005  RAJIV RANJAN  D. O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB	2,854,000.00  रुपये अठाइस लाख चौपन हजार
9	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36300	GRHFWL003  SHYAM BIHARI PRASAD  DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	3,499,100.00  रुपये चौतीस लाख निन्नानवे हजार एक सौ
योग:				9,741,100.00
क्रमिक योग:		रुपये दो करोड अस्सी लाख पैतीस हजार छः सौ		28,035,600.00

  
 (SHRI SATNAM SINGH)  
 PCCF, DEADHARWANA (RANCHI)

क्रमांक	विपत्र कोड	एकड़ों सं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बेतन एवं भले 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36304	LTRFOR004  ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. SFD LATEHAR	1,044,300.00  रुपये दस लाख चयालीस हजार तीन सौ
11	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36316	GRHFWL001  ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWANA	615,700.00  रुपये छः लाख पदह हजार सात सौ
12	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36318	GRHFWL004  SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	500,300.00  रुपये पाँच लाख तीन सौ

योग:

2,160,300.00

क्रमिक योग:

रुपये तीन करोड एक लाख पिनचानवे हजार नौ सौ

30,195,900.00




(SHRI SATNAM SINGH)

CCF, D. (SFD) (S) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36320	PLMFOR070  NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	550,200.00  रुपये पाँच लाख पचास हजार दो सौ
14	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36322	CTRFOR003  SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	521,900.00  रुपये पाँच लाख इक्कीस हजार नौ सौ
15	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36323	CTRFOR002  RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	724,800.00  रुपये सात लाख चौइस हजार आठ सौ

योग: 1,796,900.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड उन्नीस लाख बयालवे हजार आठ सौ 31,992,800.00

  
(SHRI SATNAM SINGH)  
(CCF, DABHANG RANCHI)

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36324	KDMFORA01  SURAJ KUMAR SINGH  D.F.O. KODERMA	291,700.00  रुपये दो लाख इनकानवे हजार सात सौ
17	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36334	HZBFWL009  SUSHIL SOREN  D.F.O. FOREST OFFICE	606,900.00  रुपये छः लाख छः हजार नौ सौ
18	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36336	HZBFWL005  RAJIV RANJAN  D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	500,300.00  रुपये पाँच लाख तीन सौ
योग:				1,398,900.00
क्रमिक योग:				33,391,700.00

रुपये तीन करोड तैतीस लाख इनकानवे हजार सात सौ

  
(SHRI SATNAM SINGH)  
PCCF, D. (ADHARIGARH) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601789580323	36338	GRHFWL003	618,300.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SHYAM BIHARI PRASAD	रुपये छः लाख अठारह हजार तीन
	789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		DFO SOCIAL	सौ
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		FORESTRY DIV	
	03 - प्रशासनिक व्यय		GARHW	
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	<b>State Scheme</b>			
	State Scheme :	AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)		
	Central Scheme :	NA		

20	S 19 240601789580323	36339	LTRFOR004	188,400.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		ARVIND KUMAR GUPTA	रुपये एक लाख अठ्यासी हजार चार
	789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		D.P.O. SFD LATEHAR	सौ
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	<b>State Scheme</b>			
	State Scheme :	AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)		
	Central Scheme :	NA		

योग:				806,700.00
क्रमिक योग:	रुपये तीन करोड इकतालीस लाख अठानवे हजार चार सौ			34,198,400.00

  
 (SHRI SATNAM SINGH)  
 PCCF, DADHARWANA, RANCHI